विषयः दिल्ली परिवहन निगम में "हिन्दी पखवाड़ा" (14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2022) के दौरान हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजनः

(400 शब्दों या 40 पंक्तियों का होगा)

1– हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताः–

इस प्रतियोगिता में अधिकारियों/कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर तीन वर्ग बनाये गए जो निम्न हैं :–

अंक–100

समयः– 1:30 घण्टा

- वर्ग "क" स्नात्तक तथा स्नात्तक स्तर से अधिक।
- वर्ग "ख" स्नात्तक स्तर से कम।
- वर्ग "ग" सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता कुछ भी हो)।

पुरस्कार तथा प्रशस्ति–पत्र :–

प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः रू0 4,000/–, रू0/– 3,000/– तथा रू0 2,000/– की राशि देने का प्रस्ताव है। शेष सभी सफल अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए जायेंगे।

क्र0 सं0	नकद पुरस्कार	अधिकारियों/कर्मचारियों	पुरस्कार राशि (रू0)	कुल पुरस्कार राशि (रू0)
1	प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या	3	4,000	12,000.00
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	3	3,000	9,000.00
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या	3	2,000	6,000.00

2– हिन्दी सुलेख प्रतियोगिताः–

इस प्रतियोगिता में अधिकारियों/कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर दो वर्ग बनाये गए जो निम्न हैं :–

समयः– 5 मिनट

अंक 100

- वर्ग "क" अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए।
- वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए।

क्र0 सं0	नकद पुरस्कार	अधिकारियों/कर्मचारियों	पुरस्कार राशि (रू0)	कुल पुरस्कार राशि (रू0)
1	प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या	2	4,000	8,000.00
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या	2	3,000	6,000.00
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या	2	2,000	4,000.00

हिन्दी सुलेख तथा हिन्दी–निबन्ध प्रतियोगिताओं के लिए नियम एवं शर्तें :–

1– इन प्रतियोगिताओं में केवल निगम के कर्मचारी एवं अधिकारी ही भाग ले सकते हैं।

2– हिन्दी सुलेख–प्रतियोगिता के लिए दो वर्ग बनाये गए हैं।

- प्रथम वर्ग "क" में अधिकारी/कर्मचारी।
- द्वितीय वर्ग "ख" में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

3– हिन्दी–निबन्ध प्रतियोगिता के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर कर्मचारियों के अलग–अलग तीन वर्ग अर्थात् "क", "ख" तथा "ग" बनाये गए हैं :–

- "क" वर्ग में स्नात्तक तथा स्नात्तक से अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले।
- "ख" वर्ग में स्नात्तक से कम योग्यता रखने वाले।
- "ग" वर्ग में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही होंगे चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता कुछ भी हो।

नोट :– तीनों वर्गों के लिए निबन्ध का विषय अलग–अलग होगा। निबन्ध लिखने का समय डेढ़ घण्टा तथा अंक 100 होंगे। इसके अतिरिक्त निबन्ध कम से कम 400 शब्दों का होना चाहिए और भाषा सरल और स्पष्ट तथा विषयानुकूल होनी चाहिए।

4– प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः रू0 4,000/–, रू0 3,000/– तथा रू0 2,000/– की नकद राशि तथा प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए जायेंगे। अन्य चयन किए गए प्रतियोगियों को प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए जायेंगे।

5– प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान तथा उत्तीर्ण प्रतियोगियों का चयन मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद अथवा शिकायत के निपटान के बारे में मुख्य महाप्रबन्धक (हिन्दी/उप मुख्य महाप्रबन्धक (हिन्दी) का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

6– उक्त दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए निम्नलिखित 3 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं।

परीक्षा केन्द्र :–

1. पीरागढ़ी डिपो
2. प्रशिक्षणशाला, नन्द नगरी डिपो परिसर
3. राजभाषा विभाग, इन्द्रप्रस्थ डिपो

नोट :– प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों में सुलेख प्रतियोगिता 10:30 से 16:00 बजे तक 5–5 मिनट के अन्तराल पर तथा निबन्ध प्रतियोगिता के लिए 10:30 से 12:00 बजे तक तथा 12:30 बजे से 14:00 बजे तक एवं 14:30 बजे से 16:00 बजे तक होगी।

7– उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध होंगी। निबन्ध का विषय एवं सुलेख की सामग्री परीक्षा केन्द्रों पर ही बतायी जाएगी। कर्मचारी को प्रतियोगी परीक्षा देने से पूर्व उत्तर पुस्तिका पर अपना नाम, पदनाम, वे० टो० सं० तथा डिपो/यूनिट/अनुभाग कार्यालय का उल्लेख अवश्य करना चाहिए ताकि कर्मचारी का प्रशस्ति–पत्र/प्रमाण–पत्र तैयार करते समय कोई कठिनाई न हो। कर्मचारी इन परीक्षा केन्द्रों में से अपनी सुविधानुसार किसी भी समय किसी एक परीक्षा केन्द्र पर जाकर इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। निर्धारित समय की समाप्ति के पश्चात् किसी भी कर्मचारी को इन प्रतियोगिताओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8– प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिये पात्र होंगे।

9– प्रशस्ति–पत्र अथवा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

10– कोई भी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में किसी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी।

11– राजभाषा विभाग, दि०प०नि० को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबन्ध में और पुरस्कारों की संख्या राशि, स्थान और तिथि एवं समय आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

12– प्रतियोगिता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दूरभाष सं0–23370236 एक्स. 278 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।